



## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र.क.

/ 2016 निगरानी

D 3907-I-16

दुष्पत्त कुमार सिंह-एड  
१७/११/१६

श्री होल्कर सिंह गौड पिता धरम सिंह गौड  
निवासी—बंदरकोला, पोस्ट मढा परसवारा, तहसील  
सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) ————— आवेदक

17/11/16

546-  
17.11.16

बनाम

- 1— श्रीमती मोनिका गुप्ता पति श्री शैलेष गुप्ता
- 2— श्री शैलेष गुप्ता पिता स्व. वीरेन्द्रनाथ गुप्ता  
निवासीगण— वार्ड न.-1 सिहोरा, तहसील  
सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) - तराई पञ्चांगा
- 3— मध्य प्रदेश शासन ————— अनावेदकगण

### निगरानी अन्तर्गत धारा – 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता-1959

विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त जबलपुर, संभाग जबलपुर के प्र.क.  
170/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 18-10-2016 से  
परिवेदित होकर।

माननीय,

आवेदक का निगरानी आवेदन—पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत हैः—

#### प्रकरण के तथ्यः—

संक्षेप में इस प्रकार है कि, भूमि ग्राम सिहोरा पटवारी हल्का नम्बर 06  
(सिहोरा) राजस्व निरीक्षक मण्डल खितौला तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर स्थित  
भूमि रकम रुपये नम्बर 1200 / ३ जकता ००१२ दैनन्दिन आवेदन के —————

## राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3907 / । / 2016 निगरानी

जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
८-२-१७ भा०	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दुष्यन्त कुमार सिंह द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर, संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 170/अ-21/2015-16/अपील में पारित आदेश दिनांक 18-10-2016 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता-1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण का सारोंश यह है कि आवेदक द्वारा भूमि ग्राम सिहोरा पटवारी हल्का नम्बर 06 (सिहोरा) राजस्व निरीक्षक मण्डल खितौला तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1200/3 रकवा 0.082 हैक्टर में से 2367 वर्गफुट भूमि अनावेदक क्रमांक-1 व 2 को विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन कलेक्टर महोदय जिला जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे प्रकरण क्रमांक 435/अ-21/2013-14 पर पंजीयन कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ भेजा गया कि वे आवश्यक जाँच उपरान्त अभिमत प्रस्तुत करें। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन तहसीलदार को जाँच प्रतिवेदन हेतु भेजा जिस पर से तहसीलदार द्वारा रा०प्र०क० 06/अ-21/13-14 में आवश्यक जाँच उपरान्त अपना प्रतिवेदन दिनांक 24-3-2015 अनुसंशा सहित अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रा०प्र०क० 03/अ-21/2014-15 के माध्यम से उक्त प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किये जाने पर कलेक्टर द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 20-7-2015 पारित कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि विक्रय का आवेदन निरस्त किया। कलेक्टर के आलोच्य आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 170/अ-21/2015-16 प्रस्तुत की जो आलोच्य आदेश दिनांक 18-10-2016 द्वारा खारिज की गई। अपर आयुक्त के</p>	

इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा ग्राम सिहोरा पटवारी हल्का नम्बर 06 (सिहोरा) राजस्व निरीक्षक मण्डल खितौला तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1200/3 रकवा 0.082 हैक्टर भूमि में से उनके द्वारा 2367 वर्गफुट भूमि के विक्य की अनुमति हेतु आवेदन कलेक्टर के समक्ष दिया गया था। उक्त आवेदन पर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी से जांच कराई गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार से जांच कराकर अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया जिसमें भूमि विक्य की अनुशंसा की गई किंतु कलेक्टर ने उक्त प्रतिवेदनों को अनदेखा कर यह मानकर कि भूमि का विक्य पक्षकार के विरुद्ध है आवेदन को निरस्त किया गया जिसे अपर आयुक्त महोदय द्वारा यथावत रखा जाने में न्यायिक त्रुटि की गई है।

उनका तर्क है कि, प्रश्नाधीन विक्य की जाने वाली भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु है परन्तु बाईपास में कुछ भाग निकल जाने से रकवा छोटा हो गया है जिस पर कृषि नहीं हो सकती आवेदक उक्त भूमि को विक्य कर अन्यत्र भूमि क्य करना चाहता है जिसके लिए रूपयों की आवश्यकता होने से उक्त भूमि को विक्य की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। विक्य के पश्चात आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि के विक्य की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कलेक्टर द्वारा उसे अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा। जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवित जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरान्त भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदित भूमि विक्रय अनुमति पश्चात आवेदक के पास 4.14 हैक्टर भूमि शेष बचेगी। अधीनस्थ न्यायालय ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इन्कार किया है कि भूमि एक तरह से निवेश की विषयवस्तु होती है जिसकी कीमतें भविष्य में लगातार बढ़ती है आवेदित भूमि नगर पालिका क्षेत्र वस्ती एवं सड़क से लगी है जिसकी भविष्य में और अधिक कीमत बढ़ने की पूरी संभावना है अतः भूमि विक्रय से आवेदक आदिम जनजाति सदस्य के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि आवेदक उक्त भूमि को विक्रय कर अन्यत्र भूमि कर्य करना चाहता है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दर्शीत परिस्थितियों में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इन्कार किया है, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं हैं इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-7-2015 एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-10-2016 निरस्त किये जाकर यह निगरानी स्वीकार की जाती है साथ ही आवेदक को उसके

(M)

P/S

-5-

भूमि स्वामित्व की ग्राम सिहोरा पटवारी हल्का नम्बर 06  
(सिहोरा) राजस्व निरीक्षक मण्डल खितौला तहसील सिहोरा,  
जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1200/3 रकवा  
0.082 हैक्टर में से 2367 वर्गफुट भूमि के विक्रय की अनुमति  
प्रदान की जाती है।

  
(एम.के.सिंह)

सदस्य  
राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

